संख्या-401/2023/1398/22-2-2023-17(344)/2023

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 23 जून, 2023

विषय:- जिला कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बृजेश उर्फ बिट्टू पुत्र श्री जगपाल, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-5535/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-08-02-2023) दिनांक-20-02-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बृजेश उर्फ बिट्टू पुत्र श्री जगपाल, जो लक्ष्मणगढ़ी, थाना-सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। पूर्व में हुये कत्ल की रंजिश में बन्दी ने दिनांक-03-11-2000 को अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, फर्सा व कट्टे से मारकर श्रीमती सुनरी, कु0 लक्ष्मी (4 वर्ष), कार्तिक (2 वर्ष) व श्रीमती राजवीरी नामक 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण सं-0740/01 में भा0द0वि0 की धारा-148, 452, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय संख्या-16, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 20.09.2002 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक-27-02-2013 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12.02.2021 तक अपरिहार 20 वर्ष 03 माह 05 दिन एवं सपरिहार 26 वर्ष 04 माह 22 दिन की सजा भोगी गयी है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, जेल से रिहा होने पर कोई और गम्भीर घटना घटित होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त नहीं होने, जेल में रखने से पुन: अपराध कारित नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक-03-11-2000 को अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, फर्सा व कट्टे से मारकर श्रीमती सुनरी, कु0 लक्ष्मी (4 वर्ष), कार्तिक (2 वर्ष) व श्रीमती राजवीरी नामक 04 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विवाद समाप्त न होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी बृजेश उर्फ बिट्टू पुत्र श्री जगपाल की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नही की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बृजेश उर्फ बिट्टू (बन्दी संख्या-5726/2018) पुत्र श्री जगपाल, निवासी जनपद-बुलन्दशहर को यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-401/2023/1398(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, इटावा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका संख्या-336/2019 रशीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-401/2023/1398/22-2-2023-17(344)/2023

दिनांक 23 जून, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बृजेश उर्फ बिट्टू पुत्र श्री जगपाल, जो लक्ष्मणगढ़ी, थाना-सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। पूर्व में हुये कत्ल की रंजिश में बन्दी ने दिनांक-03-11-2000 को अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, फर्सा व कट्टे से मारकर श्रीमती सुनरी, कु0 लक्ष्मी (4 वर्ष), कार्तिक (2 वर्ष) व श्रीमती राजवीरी नामक 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण सं-0740/01 में भा0द0वि0 की धारा-148, 452, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय संख्या-16, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 20.09.2002 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक-27-02-2013 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12.02.2021 तक अपरिहार 20 वर्ष 03 माह 05 दिन एवं सपरिहार 26 वर्ष 04 माह 22 दिन की सजा भोगी गयी है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, जेल से रिहा होने पर कोई और गम्भीर घटना घटित होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त नहीं होने, जेल में रखने से पुन: अपराध कारित नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक-03-11-2000 को अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, फर्सा व कट्टे से मारकर श्रीमती सुनरी, कु0 लक्ष्मी (4 वर्ष), कार्तिक (2 वर्ष) व श्रीमती राजवीरी नामक 04 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, विवाद समाप्त न होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी बृजेश उर्फ बिट्टू पुत्र श्री जगपाल की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नही की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।